मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 8, 1939)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2016-2017 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2017-2018 प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का इकत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003)की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2016-तेरह, दिनांक 04 मार्च, 2017 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2014-2015 (31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का पंचम वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 37-2-2015-बीस-3, दिनांक 31 मार्च, 2017 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री सूर्य प्रकाश मीना, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, सत्यपाल सिंह सिकरवार, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चंबल संभाग में सिंचाई हेतु चंबल नहर का समुचित मात्रा में पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले में अनियमित विद्युत प्रदाय होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा में कोठी कम्पाउण्ड में कोर्ट भवन न बनाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुदेश राय, सदस्य, सीहोर शहर में सीवेज लाईन डाले जाने में घटिया सामग्री का उपयोग होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम जिवला-खाम्हा पहुंच मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(2) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के सिविल लाईन्स वार्ड में पम्पा साहू कॉम्प्लेक्स से पुलिस लाईन्स गेट तक पेवर ब्लाक लगाये जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम खामखेड़ा की शासकीय माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन का निर्माण किये जाने,

(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम साँईखेड़ा और बारछी होशंगाबाद के मध्य बहने वाली उमर नदी पर रपटे का निर्माण किये जाने,

(5) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले की बरूड़ स्थित हवाई पट्टी को विकसित करने तथा उसका पार्किंग के रूप में उपयोग किये जाने,
(6) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम डिड़ी के पास क्वारी नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम खेरे वाले के पुरा में कटाव की रोकथाम हेतु प्रबंध कराये जाने,
(8) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम निवोरा से सेहरा तक मार्ग को स्वीकृत कराये जाने,
(9) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के पवई हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(10) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम असावती से स्कूल के बीच पुलिया एवं मार्ग निर्माण किये जाने,
(11) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के ग्राम बहरोल के शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(12) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, भोपाल जिले के ई-8 साउथ एवेन्यू एवं गुलमोहर-3 आयकर कालोनी बावड़िया कलां में सीवेज का पानी खुले नाले के स्थान पर पाईप के माध्यम से निकाले जाने,
(13) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के रानी अवंती बाई वार्ड में गली नं. 04 से लेकर गली न. 09 तक में नाली एवं सड़क निर्माण किये जाने,
(14) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत भादवामाता में सामुदायिक भवन का निर्माण किये जाने,
(15) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम रसूलपुरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने,
(16) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले में ग्राम चरनटोला करपा के पीपर नाला पर रपटा/पुलिया का निर्माण किये जाने,
(17) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम सिंगरो के खेतों में नदी से पाईप लाईन डालकर पानी उपलब्ध कराये जाने,
(18) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में विश्राम गृह बनाये जाने,
(19) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम ढोंढपुर में नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत किये जाने,
(20) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की नगर पंचायत निवाड़ी में गौशाला खोले जाने,
(21) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम पटपड़ा मेनरोड से अपतरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(22) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले की जनपद पंचायत नौगाँव की ग्राम पंचायतों सहित सभी ग्रामों में मंगल भवन स्वीकृत किये जाने,
(23) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम चोरगड़ी मोड़ से कोष्ठा बस्ती तक सड़क निर्माण किये जाने,
(24) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम काल्याखेड़ी से बखेड़ मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(25) श्री घनश्याम पिरोनियाँ, सदस्य, दतिया जिले के भाण्डेर रोड पर बीड़ी श्रमिकों के लिए बनाये गये घटिया आवासों की जांच किये जाने,
(26) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम नांदिया में 33 के.व्ही. का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने,
(27) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम महुखान से इमझरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(28) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा-नागदा सड़क मार्ग पर एस आकार के मोड़ को समाप्त किये जाने,
(29) पं. रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के डभौरा मार्ग पर ग्राम महिलो पहुँच मार्ग का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माण किये जाने,
(30) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम मोड़ी में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजनान्तर्गत स्थाई संरचना निर्मित किये जाने,
(31) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम सगरा में ट्रांसफार्मर स्थापित कर केबलीकरण किये जाने,
(32) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले में ग्राम अखेतपुर के विहरिया नाले पर विंगवाल बनाये जाने,
(33) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले की बराज नदी पर स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,
(34) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले की सिवनी नगर पालिका परिषद को महानगर परिषद बनाये जाने,
(35) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा से तिलपेवाड़ा मार्ग एवं भानपुर से खुटिया मार्ग की सड़कें पक्की किये जाने,
(36) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम मुरैली में 33/11 के.व्ही. के विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किये जाने, तथा
(37) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम घुड़हर दबोला में जलाशय का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित चौंतीसवां, पैंतीसवां तथा अभ्यावेदन से संबंधित नवम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

अल्प वर्षा से फसलों के नष्ट होने, कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य न मिलने, कृषि मजदूरों के पलायन आदि के कारण कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, फुन्देलाल सिंह मार्को, आरिफ अकील, बाला बच्चन, सुखेन्द्र सिंह, जितू पटवारी, के.डी. देशमुख, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 नवम्बर, 2017